अध्याय 10

सूचना का अधिकार

किकिरदा ग्राम पंचायत ने तालाब बनवाने का निर्णय लिया। खुदाई के लिए सरपंच ने गाँव की औरतों और पुरूषों को मजदूरी में लगाया। उसने महिलाओं को 40/– रुपए और पुरुषों को 50/– रुपए मजदूरी देना तय किया। काम मिलने की खुशी में लोगों ने इस रेट पर काम करना मान लिया और काम में जुट गए।

इसी बीच बुधिया की भतीजी चंदा पास के कस्बे से छुट्टी मनाने किकिरदा आई। चंदा की आदत हर किसी से पूछताछ कर जानने–समझने की थी। एक दिन बुधिया जब मजदूरी लेकर आई तो उसने मजाक में अपनी बुआ से कहा, "लाओ मैं पैसे गिन देती हूँ।" बुधिया बोली, ''कौन बहुत–से पैसे हैं बिटिया? 3 दिन की मजदूरी 120/– रुपए ही तो है, इनको क्या गिनना?'' चंदा ने कहा 3 दिन के सिर्फ 120/– रुपए ये तो बहुत कम हैं बुआ, आपको रोज का कितना मिलता है ?" बुधिया ने कहा, "अरे, आप तो पढ़ी–लिखी हैं। क्या इतना भी हिसाब नहीं लगा सकतीं कि 40/–रुपए रोज का मिलता है। पुरुषों को हमेशा हमसे ज्यादा 50/– रुपए मिलता है। ''चंदा ने कहा, "नहीं बुआ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और क्या आपके गाँववालों को यह नहीं मालूम कि सरकार ने इस तरह के काम के लिए रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत न्यूनतम (कम–से–कम) मजदूरी तय कर दी है। इससे कम देना या महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे देना तो गैर कानूनी है। ये सब मैंने थोड़े दिन पहले अखबार (पेपर) में पढ़ा था।"

1. न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर रेट से क्या आशय है? वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कितनी है? अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।
2. एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है?

"अच्छा ये तो बताओ कि मजदूरी लेते समय जब आप मजदूरी भुगतान पंजी में दस्तखत करती हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है?'' चंदा ने पूछा। बुधिया कुछ सोचकर बोली, "ठीक से याद तो नहीं हैं परन्तु कभी खाली दस्तखत भर ले लिया जाता है।" "सरपंच के हिसाब की मजदूरी भुगतान पंजी में जरूर कुछ गड़बड़ है।" चंदा ने कहा।

अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात कही। हबीब बोला–''इसका मतलब है सरपंच, महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है, हमको भी पूरे पैसे नहीं दे रहा है। इतना धोखा ? अब तो जरूर कुछ करेंगे।" भीखू बोला, "हम क्या करेंगे भैया और हमारा साथ कौन देगा ?" "अरे कानून साथ देगा और कौन ? हाँ हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी मगर अभी तो चुप रहो, सरपंच आ रहा है।'' इसके बाद सब अपने–अपने काम में लग गए। अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता, मजदूर अपनी मजदूरी के पैसों की बात करते। सबने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा।

दो–तीन दिन बाद हबीब ने कहा, "मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं। सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ और किसको कितनी मजदूरी दी गई है, इसकी जानकारी माँग सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा।" सरपंच हिसाब बताएगा इस पर सबको शंका थी। पर फिर भी सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दी।

सूचना का अधिकार 2005

उद्देश्य–

1. लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा।
2. पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति जनविश्वास एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
3. नागरिकों से संबंधित लोक हित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाब देह होने का एहसास हो सकेगा।
4. नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होगा।

सूचना का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया:–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10/– का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता।

आवेदन के तीस दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है । जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज़ की छायाप्रतियाँ दी जा रही हैं, तो छायाप्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है।

तीस दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी, भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250/–की दर से अधिकतम 25000/– तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है।

1. कम मजदूरी मिलने की बात पता चलने पर लोगों ने क्या करने का फैसला लिया ?
2. मजदूरों ने सरपंच से क्या जानकारी माँगी ?
3. सरपंच से ये जानकारी लेने से उनका क्या फायदा होगा ? चर्चा कीजिए।

जैसा कि सबको शंका थी आवेदन देखकर सरपंच भड़क गया। उसने कहा, "बड़े आए सूचना का अधिकार जानने वाले। मैंने काम दिया इसका तो कोई एहसान नहीं मान रहा। जो मजदूरी देना तय किया था उससे कम पैसे दे रहा हूँ क्या ? मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊँगा। काम करना है तो करो नहीं मत करो।"

मजदूर इस बात पर अड़ गए कि हम तो जानकारी लेकर ही रहेंगे। अब इस काम में उन्होंने रामू की मदद ली। रामू ने उन्हें जनपद पंचायत जैजैपुर के सूचना के अधिकार के प्रभारी

अधिकारी से मिलवाया। उसने कहा, "ये जानना तुम्हारा अधिकार है। तुम इसके लिए यहाँ आवेदन दे दो तो हम कुछ कार्यवाही कर सकेंगे।"

मजदूरों से आवेदन मिलने के बाद जनपद से सरपंच को नोटिस जारी हुआ कि ग्रामीणों ने जो जानकारी चाही है, यह उनका हक है। आप दस दिन के अंदर पूरी जानकारी उनको दें अन्यथा आप पर कार्यवाही होगी।

अब तो सरपंच कुछ घबराया और जानकारी मजदूरों को देने से पहले जनपद ऑफिस में गया। उसने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आप मजदूरों को थोड़ा समझा दें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा, "मैं गाँव में आकर बात करूँगा।"

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गाँव जाकर मजदूरों और सरपंच को साथ बुलवाया। इसमें सरपंच ने सब जानकारी दिखाई। सीईओ ने एक–एक मजदूर को जानकारी देकर पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ी है ? तब मजदूरों ने बताया कि उन्हें कम पैसे मिले हैं। सरपंच ने कहा, "मैंने लालच में आकर हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी की है। इसके लिए मैं आप सबसे माफी माँगता हूँ। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं सबका बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूँ।" मुख्य कार्यपालन ने मजदूरों से कहा, "अगर आप सब लोग मान जाते हैं और इसे माफ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं करूँगा।"

सबने हबीब की ओर देखा। हबीब ने बुधिया, बिसनू और भोला से बात की। सबने कहा, "अगर यह गलती मान रहा है और पूरे पैसे भी लौटा रहा है तो हम इसको माफ कर देते हैं।"

इसके बाद सरपंच ने पुरूषों को और औरतों को हर दिन के हिसाब से बची हुई मजदूरी का भुगतान किया। बुधिया ने चंदा को 50/– रुपए दिए और कहा, "बिटिया तुम इसकी मिठाई खाना। तुम्हारे कारण ही हम सबका इतना फायदा हुआ है।"

अभ्यास के प्रश्न

1. रिक्त स्थान को भरिए :–

(क) सूचना के अधिकार का अधिनियम ———— में बनाया गया।

(ख) गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को ———— तक जुर्माना हो सकता हैं।

(ग) न्यूनतम मजदूरी ———— तय करती है।

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया?
2. यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था?
3. सरपंच से समझौता करने का निर्णय किसने लिया और क्यों?
4. सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है?
5. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अन्दर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है?